

#### राजस्थान राज—पत्र RAJASTHAN GAZETTE विशेषांक

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 9, गुरुवार, शाके 1939-मार्च 30, 2017 Chaitra 9, Thursday, Saka 1939-March 30, 2017

भाग 4 (क)

# राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम। विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2) अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2017

संख्या प. 2 (7) विधि/2/2017 :-- राजस्थान राज्य विधान-- मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2017 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 6)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 2017 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में जयपूर में राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अइसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

### अध्याय १

#### •प्रारम्भिक

- 1. 'संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 制
  - (2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।
  - (3) यह त्रन्त प्रवृत होगा।
- 2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-
  - (क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है:

- (ख) "संबद्ध महाविद्यालय" से कोई महाविद्यालय या संस्थान, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, अभिप्रेत है;
- (ग) "प्राधिकारी" से विश्वविद्यालय का इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;
- (च) "महाविद्यालय" से कोई संघटक महाविद्यालय या कोई संबद्ध महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (छ) "सक्षमता" से अर्जित ज्ञान और शिक्षण का उपयोग करने की क्षमता और कार्य-भूमिका का सफलतापूर्वक या दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए पात्रता का विकास अभिप्रेत है;
- (ज) "नियन्त्रक" से विश्वविद्यालय का नियन्त्रक अभिप्रेत है;
  - (झ) "घटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ञ्) " क्रेडिट फ्रेमवर्क" से किसी छात्र के लिए कार्य-भूमिका का सफलतापूर्वक या दक्षतापूर्वक पालन करने हेतु सक्षमता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, कौशल, और शिक्षण क्रेडिट की माप इकाइयों पर निर्मित, विश्वविद्यालय द्वारा विकसित फ्रेमवर्क अभिप्रेत है;
- (ट) "संकायाध्यक्ष" से संकाय का अध्यक्ष या घटक महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है:
- (ठ) "निदेशक" से निदेशक, कौशल शिक्षा, निदेशक, मानव संसाधन विकास, निदेशक, छात्र कल्याण और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के ऐसे अन्य निदेशक, अभिप्रेत हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर सुजित करे;
- (ड) "संकाय" से इस अधिनियम और परिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

- भाग 4 (क)
  - (ढ)' "राज्यपाल" से राजस्थान राज्य का राज्यपाल अभिप्रेत है:
  - (ण) "अध्यक्ष" से किसी विषय के विभाग या खण्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
  - (त) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास का ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो, या तो विश्वविद्यालय के भाग के रूप में, या उससे पृथक रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या मान्यताप्राप्त हो;
  - (थ) "भा.औ.वि.नि. लि." से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी कंपनी- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. अभिप्रेत है;
  - (द) "आई.एल.डी." से राजस्थान सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रिजस्ट्रीकृत एक सोसाइटी- इन्स्टीट्यूट ऑफ लिडरशीप डवलपमेन्ट, जयपुर अभिप्रेत है;
  - (ध) "राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक" से क्षेत्र कौशल परिषद् द्वारा या, यथास्थिति, राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति द्वारा निश्चित किये गये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक अभिप्रेत हैं;
  - (न) ''राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन एक सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत एक स्वायत निकाय- राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण अभिप्रेत है;
  - (प) "राष्ट्रीय कौशल विकास निगम" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक कंपनी- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अभिप्रेत है:
  - (फ) "राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क" से वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना

सं. 8/6/2013-निवेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क अभिप्रेत है:

- (ब) "राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति" से वित मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 8/6/2013-नियेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के पैरा 14(i) के अनुसार स्थापित समिति अभिप्रेत है:
- (भ) "अधिकारी" से इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय में नियोजित ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे परिनियमों द्वारा अधिकारी घोषित किया गया हो:
- (म) "विहित" से विश्वविद्यालय के परिनियमों द्वारा यथा विहित अभिप्रेत है;
- (य) "कुल-सचिव" से विश्वविद्यालय का कुल-सचिव अभिप्रेत है:
  - (यक) "विनियम" से धारा 36 के अधीन ब्रनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं:
  - (यख) "क्षेत्र कौशल परिषद्" से वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. 8/6/2013-निवेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र कौशल परिषद अभिप्रेत है;
  - (यग) "कौशल" से किसी कार्य-भूमिका का सफलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षण के माध्यम से प्राप्त की गयी अर्हता और सक्षमता अभिप्रेत है;
  - (यघ) "परिनियम" से धारा 34 के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं;
  - (यङ) ''छात्र'' से किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता हेतु कोई पाठ्यक्रम लेने

के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:

- (यच) "अध्यापक" से शिक्षा प्रदान करने और/या अनुसंधान का संचालन और मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्य सहायक आचार्य से अनिम्न रैंक का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;
  - (यछ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन यथास्थापित और गठित राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत हैं; और (यज) "कुलपति" से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है।

# अध्याय 2 विश्वविद्यालय और कुलाधिपति

- विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.- (1) राजस्थान राज्य में राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम से जयपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय में एक कुलाधिपति, एक कुलपति, एक प्रबन्ध बोर्ड, एक विद्या परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारी और अधिकारी होंगे, जो इस अधिनियम में उपवर्णित हैं या जो परिनियमों में उपबन्धित हैं।
- (3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा ।
- (4) विश्वविद्यालय, जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उसमें निहित की जाये या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अन्तरित करने के लिए और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किन्हीं भी अन्य स्रोतों से धन उधार लेने के

1

लिए सक्षम होगा और वह संविदा कर सकेगा और ऐसी सभी अन्य बातें कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

- (5) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध किये जाने वाले सभी वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुल-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं कुल-सचिव को जारी और उस पर तामील की जायेंगी।
- (6) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।
- 4. अधिकारिता.- विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार इसके समस्त महाविद्यालयों (संघटक और संबद्ध दोनों), केन्द्रों, खण्डों, विभागों, संस्थानों और संस्थाओं में होगा और उनमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियां उसके द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी।
- 5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:-
  - (क) कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण देना, और राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय रूप से उद्योग द्वारा मान्यताप्राप्त कौशल शिक्षा में गुणवत्ता की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में से एक संस्था के रूप में उभरना;
  - (ख) रोजगार संभाट्य कौशल को सम्मिलित करते हुए, विभिन्न शाखाओं और अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास सहित अनुदेश, अध्यापन और प्रशिक्षण प्रदान करना;
  - (ग) अंतर्विषयक पाठ्यक्रमों को एक दृष्टिकोण के रूप में
     विकसित करना और कौशल शिक्षा में नये और उभरते
     क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोन्नत करना;
  - (घ) कौशल शिक्षा को उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत और समग्र रीति से प्रोन्नत करना ताकि शिक्षा और कौशल के सम्पूर्ण प्ररूपों के प्रगमन और गतिशीलता कार्य को सुनिश्चित किया जा सके; और

- (ङ) ऐसे अन्य उद्देश्य जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।
- 6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.- (1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।
- (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय से-
  - (क) किसी भी पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विहित शैक्षणिक अर्हता या स्तर नहीं रखता है, प्रवेश दिया जाना: या
  - (ख) विश्वविद्यालय की नामाविलयों पर ऐसे किसी छात्र को, जिसका शैक्षणिक अभिलेख कोई डिग्री, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि प्रदान किये जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानक से कम हो, बनाये रखना; या
  - (ग) ऐसे किसी व्यक्ति या किसी छात्र को, जिसका आचरण विश्वविद्यालय के हितों या अनुशासन के या अन्य छात्रों और कर्मचारियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकृत हो, प्रवेश देना या बनाये रखना; या
  - (घ) किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में छात्रों को प्रवेश दिया जाता.

## अपेक्षित नहीं होगा।

- (3) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुस्चित जातियों, अनुस्चित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों और महिला छात्रों के लिए प्रवेश में स्थानों का आरक्षण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार या राज्य सरकार की नीति के अनुसार किया जायेगा।
- 7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य.- विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा:-
  - (क) कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं को ऐसी रीति और मानदण्डों के अनुसार मान्यता देना जो विहित किये जायें, और ऐसे संस्थाओं को सम्बद्ध करना;

- (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार क्रेडिट फ्रेमवर्क विकसित करना;
- (ग) क्षेत्र कौशल परिषदों या, यथास्थिति, राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति और उद्योग के परामर्श से पहचान की गयी कार्य-भूमिका के लिए अर्हता पैक और व्यावसायिक मानक विकसित करना:
- (घ) अर्हताओं, पाठ्यक्रम कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क से संरेखित करना;
- (ङ) कौशल में छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए उद्योगों की पहचान करना और उनके साथ सहयोग करना और उद्योगों में ऐसे व्यावहारिक प्रशिक्षण में क्रेडिट के अर्जन के प्रयोजन के लिए, किसी छात्र द्वारा प्राप्त की गयी सक्षमता को मान्यता देने के लिए मान परिभाषित करना:
- (च) अध्ययन के परिणामों से समझौता किये बिना नये अध्ययन के अवसरों को प्रोन्नत करने हेतु, क्रेडिट अन्तरण के लिए, क्रेडिट फ्रेमवर्क के लिए मान अधिकथित करना:
- (छ) कौशल शिक्षा, अध्यापन या विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य शैक्षणिक पदों को, ऐसी अईताओं और पदनामों के साथ सृजित करना, जैसा वह उचित समझे, और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को पदाविध, निबंधन पर या अन्यथा नियुक्त करना;
- (ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या किसी उद्योग में कार्य कर रहे या इसके अनुरूप कार्य का अनुभव रखने वाले, अपेक्षित ज्ञान अथवा क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी अवधि के लिए जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, विश्वविद्यालय के सहायक, अतिथि या अभ्यागत संकाय के रूप में नियुक्त करना;

- (झ) कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण के मामले में, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे, सहमत ऐसे प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य संगठन से सहयोग करना;
- (त्र) अन्य महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, अलाभकारी संगठनों, उद्योग संगमों, व्यावसायिक संगमों या निकायों, या भारत और विदेशों में अन्य संगठनों से, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन, विशिष्ट शैक्षिक और अमुसंधानिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अवधारण, नव परिवर्तन, डिजाइन, विकसित, प्रदान, प्रस्ताव, मूल्यांकन और प्रमाणित करने के लिए सहयोग और सहकार करना, कार्यों के लिए परामर्श देना, और छात्रों, संकाय के सदस्यों और अन्य के लिए कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करना;
- (ट) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अध्यधीन रहते हुए, किसी अन्य संस्था या समरूप दृष्टिकोण, मिशन, रणनीति-संबंधी वास्तुशिल्प और उद्देश्यों वाली विश्व भर की संस्थाओं के साथ भागीदारी, सहयोग, सहकार, संयुक्त उद्यम, रणनीतिक गठबंधन या पारस्परिक लाभकारी संबंध के किसी अन्य रूप में विश्वविद्यालय के संकाय, अनुसंधानकर्ताओं, और सहयोगी कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ करना और उनका जिम्मा लेना;
- (ठ) कौशल शिक्षा में और शिक्षण की अन्य सहबद्ध शाखाओं में, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे, पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए उपबंध करना;
- (ड) पाठ्यक्रम संस्थित करना और परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, जिन्होंने विश्वविद्यालय में विहित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है, जिसमें किसी भी अंन्य विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थानों में

तत्प्रयोजनार्थ चलाये गये आंशिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

- (ढ) ऐसी सम्मानिक उपाधियां और अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करना जो विहित की जायें;
- (ण) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये गये महाविद्यालयों और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, और ऐसे विशेषाधिकारों में से समस्त या किसी विशेषाधिकार को वापस लेना:
- (त) कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित महाविद्यालयों, विद्यालयों, केन्द्रों, खण्डों, विभागों, संस्थानों को स्थापित करना और चलाना;
- (थ) अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशालाओं,
   पुस्तकालयों, संस्थानों और संग्रहालयों की स्थापना करना और चलाना;
- (द) अध्यापन संबंधी पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (ध) प्रशासनिक और अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (न) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं और पारितोषिक संस्थित और प्रदत्त करना;
- (प) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारिवृन्द के लिए निवासी वास-सुविधाएं संस्थित करना और उन्हें बनाये रखना;
- (फ़) ऐसी फीसें और अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त करना, जो विहित किये जायें:
- (ब) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि करने की व्यवस्था करना; और

- (भ) ऐसे संमस्त कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों, चाहे वे. पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या नहीं।
- 8. कुलाधिपति.- (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल, अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।
- (2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और जब वह -उपस्थित रहे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।
- (3) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताय, कुलाधिपति द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन होया।
- (4) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या किसी आवेदन पर, किसी भी कार्यवाही के संबंध में, ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें किये गये किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी का अभिलेख मंगवा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा, और यदि किसी भी मामले में कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे विनिश्चय या आदेश को उपांतरित, बातिल किया जाना, उलटा जाना, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुलाधिपति को प्रत्येक आवेदन, उस तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर किया जायेगा जिसको वह कार्यवाही, विनिश्चय या आदेश जिससे कि आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव अलने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया गया हो।

- (5) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें।
- परिदर्शन.- (1) कुलाधिपित कों, राज्य सरकार की सलाह पर या स्वप्रेरणा से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे,

विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों और विश्वविद्यालय की किन्हीं भी संघटक इकाइयों का निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा और उसी रीति से वह विश्वविद्यालय से संसक्त किसी भी मामले की जांच करवा सकेगा।

- (2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय की सम्यक् सूचनां विश्वविद्यालय को देगा।
- (3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संदर्भ में संसूचित करेगा, और उस पर दी गयी विश्वविद्यालय की राय का अभिनिश्चयन करने के पश्चात् विश्वविद्यालय को, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सलाह देगा और ऐसी कार्रवाई की जाने के लिए समय-सीमा नियत करेगा।
- (4) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय-सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति को, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित उस कार्रवाई की रिपोर्ट देगा।
- (5) जहां विश्वविद्यालय द्वारा, नियत समय-सीमा के भीतर-भीतर कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं की गयी हो वहां, और विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।
- (6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी समय कुलाधिपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के कार्यकलाप किसी भी रूप में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए या इस अधिनियम, परिनियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार संचालित नहीं किये जाते हैं या विश्वविद्यालय में अध्यापन, प्रशिक्षण और परीक्षा के मानक बनाये रखने के लिए विशेष उपाय वांछनीय हैं तो वह विश्वविद्यालय को ऐसा कोई भी मामला उपदर्शित कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में वह स्पष्टीकरण चाहता है और विश्वविद्यालय से ऐसा स्पष्टीकरण, ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, देने की अपेक्षा करेगा। यदि विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है या ऐसा स्पष्टीकरण

देता है, जो कुलाधिपित की राय में समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपित, ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो उसे मामले की परिस्थितियों में आवश्यक और वांछनीय प्रतीत हों और ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इन अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(7) विश्वविद्यालय अपने प्रशासन के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी देगा, जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करे।

#### अध्याय 3

### विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:-
  - (i) प्रबन्ध बोर्ड:
  - (ii) विद्या परिषद;
  - (iii) वित्तं समिति:
  - (iv) संकाय, जिनमें स्नातकोत्तर अध्ययन और उनके अध्ययन बोर्ड सम्मिलित हैं; और
  - (v) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाये।
- 11. प्रबन्ध बोर्ड और उसका गठन.- (1) कुलाधिपति, प्रथम कुलपति की नियुक्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, प्रबन्ध बोर्ड का गठन करेगा।
  - (2) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-
    - (i) कुलपति पदेन अध्यक्ष;
    - (ii) प्रभारी शासन सचिव, कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती

नामनिर्देशिती पदेन सदस्य; ii) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग या

पदेन सदस्य;

- (iii) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती
- (iv) आयुक्त, राजस्थान कौशल एवं

* 1-2			SEN.
37(14)		राजस्थान राज-पत्र, मार्च 30, 2017	भाग 4 (क)
		आजीविका विकास निगम	पदेन सदस्यः
	(v)	भा.औ.वि.नि. लि. द्वारा नामनिर्दिष्ट	
		ग्यारह व्यक्ति	सदस्य;
	(vi)	राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष	
		द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला	
42		राजस्थान विधान सभा का एक	* -
		सदस्य	सदस्य:
	(vii)	कौशल शिक्षा के क्षेत्र से, राज्य	
		सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने	ē
		वाले दो प्रख्यात शिक्षाविद	सदस्य:
	(viii)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया	राज्य,
		जाने वाला एक निदेशक	सदस्य;
變	(ix)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया	
		जाने वाला एक संकायाध्यक्ष	सदस्य;
	(x)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया	
		जाने वाला एक आचार्य	सदस्य;
	(xi)	कुल-सचिव	एवेच उच्च
		3	पदेन सदस्य-

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

सचिव।

- (3) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदाविध दो वर्ष होगी।
- (4) बोर्ड की कोई भी कार्रवाई या कार्यवाहियां, बोर्ड के गठन में किसी भी रिक्ति की विद्यमानता या त्रुटि मात्र के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।
- (5) बोर्ड की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति बोर्ड के सभी पदेन सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक तिहाई सदस्यों से होगी:

परन्तु यदि बोर्ड की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाती है, तो वहीं कार्य करने के लिए बुलायी गयी अगली बैठक में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

- (6) विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भिन्न बोर्ड के सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसे दैनिक और यात्रा भतों के सिवाय, जो विहित किये जायें, किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।
- (7) बोर्ड, परामर्श के प्रयोजन के लिए विचाराधीन किसी विषय का अनुभव या विशेष ज्ञान रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेमा और ऐसा व्यक्ति ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में बोल सकेगा या अन्यथा भाग ले सकेगा, किन्तु उसे मत देने का हकदार नहीं होगा, तथापि, वह बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसे भतों का हकदार होगा जो विहित किये जायें।
- (8) सामान्यतः बोर्ड, कुलपित द्वारा नियत की जाने वाली तारीखों पर, प्रत्येक तीन मास में एक बार बैठक करेगा, तथापि, कुलपित, बोर्ड की विशेष बैठक, जब कभी वह उचित समझे, बुला सकेगा और, बोर्ड के पांच से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर बुलायेगा।
- 12. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य.- (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड, विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक निकाय होगा और विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और कार्यकलापों का प्रबंध और पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय के ऐसे समस्त प्रशासनिक मामलों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित न हों।
  - (2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-
    - (i) विश्वविद्यालय की वित्तीय अपेक्षाओं, प्राक्कलनों और बजट पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना;

- विश्वविद्यालय की सम्पति और निधियों को धारित (ii) और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण निदेश जारी करना;
- विश्वविद्यालय की ओर से कोई संपत्ति स्वीकार या (iii) अन्तरित करनाः
- आशयित प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के (iv) ट्ययनाधीन रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;
- विश्वविद्यालय की निधियों के विनिधान और (v) प्रत्याहरण के लिए व्यवस्था करना;
- राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से पूंजीगत (vi) विनिधान के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय की उचित व्यवस्था करना;
- (vii) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत और दान स्वीकार करनाः
- (viii) जहां कहीं भी अपेक्षित हो, विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करना और उनका अनुमोदन करनाः
- विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के स्वरूप और (ix) उपयोग के बारे में निदेश देना:
- ऐसी समितियां और निकाय नियुक्त करना जो वह (x) आवश्यक समझे और इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अनुसार उनके निर्देश-निबंधन लिपिबद्ध करनाः
- विद्या परिषद् की सिफारिश पर महाविद्यालयों और (xi) संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना और ऐसी संबद्धता को वापस लेनाः
- विद्या परिषद की सिफारिशों पर किसी नये महाविद्यालय या संकाय की स्थापना, दो या अधिक घटक महाविद्यालयों या संकायों का एकल घटक महाविद्यालय या संकाय में आमेलन या किसी महाविद्यालय या संकाय की समाप्ति या विद्यमान

(xiii) विश्वविद्यालय में अधिकारियों, अध्यापकों, सहायक कुल-सचिव और ऊपर की रैंक के कर्मचारियों की विहित रीति से निय्क्ति के लिए चयन समिति की , सिफारिशों का अनुमोदन करना।

13. विद्या परिषद.- (1) विद्या परिषद में निम्नलिखित होंगे, अंथात:-

पदेन अध्यक्षः (i) कुलपति

(ii) निदेशक, छात्र कल्याण पदेन सदस्यः (iii) निदेशक, मानव संसाधन विकास पदेन सदस्य;

(iv) समस्त संकायों के अध्यक्ष पदेन सदस्यः

(v) समस्त घटक महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष पदेन सदस्य:

(vi) परीक्षा नियंत्रक पदेन सदस्य:

(vii) विश्वविद्यालय के सभी विभागों के प्रत्येक संकाय का प्रधान (केवल अध्यापन निवेश से जो सह-आचार्य से अनिम्न रैंक का हो)

सदस्य;

सदस्य:

सदस्य;

(viii) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम आधार पर नामनिर्देशित किये जाने वाले, प्रत्येक संकाय से आचार्य रैंक का एक अध्यापक

(ix) विश्वविद्यालय से बाहर का, क्लपति द्वारा नामनिर्देशित किया जामे वाला विख्यात एक

शिक्षाविद

(x) कुल-सचिव सदस्य;

निदेशक, कौशल शिक्षा (xi) पदेन सदस्य-सचिव।

- (2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य दो वर्ष की अविध के लिए पद धारित करेंगे।
- (3) विद्या परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से होगी:

परन्तु यदि परिषद् की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है, तो वही कार्य करने के लिए अगली बैठक में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

- (4) साम्रान्यतः विद्या परिषद्, ऐसी तारीखों पर, जो कुलपति द्वारा नियत की जा सकेंगी, प्रत्येक चार मास में एक बार बैठक करेगी, तथापि, कुलपति द्वारा विद्या परिषद् की विशेष बैठकें बुलायी जा सकेंगी।
- 14. विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य.- (1) विद्या परिषद् को, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा सभी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विहित करने और पाठ्यचर्या अवधारित करने की शक्ति होगी, और विश्वविद्यालय के भीतर अध्यापन और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर उसका साधारण नियंत्रण होगा, और वह उसके मानक बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (2) विद्या परिषद् को समस्त शैक्षणिक विषयों के संबंध में, इस अधिनियम और परिनियमों के संगत विनियम बनाने और उन्हें संशोधित या निरसित करने की भी शक्ति होगी।
- (3) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-
  - (i) पुस्तकालयों के नियंत्रण और प्रबंध और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से महाविद्यालयों की संबद्धता सहित समस्त शैक्षणिक विषयों पर बोर्ड और कुलपति को संलाह देना;
  - (ii) आचार्य पद, सह-आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन पदों की स्थापना के लिए सिफारिशें करना;
  - (iii) अध्यापन के विभागों या संकायों के गठन या पुनर्गठन के लिए सिफारिशें करना;

भाग 4 (क)

- (iv) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के संबंध में विनियमं बनाना और प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या निश्चित करना;
- (v) उपाधियां, डिप्लोमे और प्रमाणपत्रों के पाठ्यक्रमों के संबंध में विनियम बनाना;
- (vi) परीक्षाओं का संचालन करने, और कौशल शिक्षा के स्तरमानों का बनाये रखने और उनमें सुधार करने, के संबंध में विनियम बनाना;
- (vii) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना:
- (viii) विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए विहित की जाने वाली अर्हताओं के संबंध में सिफारिशें करना; और
- (ix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या बोर्ड द्वारा या कुलपित द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।
- 15. वित्त समिति.- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे-(i) कुलपति पदेन अध्यक्ष:
  - (i) कुलपति पदेन अध्यक्ष (ii) प्रभारी शासन सचिव, वित विभाग या
  - उसका उप सचिय से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती

(iii) प्रभारी शासन सचिव, कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का

साचव स आनम्न रक का नामनिर्देशिती

(iv) निदेशक, कौशल शिक्षा

(v) बोर्ड के तीन नामनिर्देशिती जो बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य होंगे

(vi) नियंत्रक

सदस्य;

पदेन सदस्य:

पदेन सदस्य:

पदेन सदस्य:

पदेन सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

- (2) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात:-
  - (i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और बोर्ड को उन पर परामर्श देना;
  - (ii) विश्वविद्यालय की वितीय स्थिति का समय-समय पर प्नर्विलोकन करना; और
  - (iii) विश्वविद्यालय के वित से संबंधित समस्त विषयों पर बोर्ड को सिफारिशें करना।
- 16. संकाय और उनके अध्ययन बोर्ड.-.(1) विश्वविद्यालय में कौशल शिक्षा, प्रशिक्षण और ऐसे अन्य संकाय होंगे, जो विहित किये जार्ये।
- (2) इन संकायों में ऐसे विभाग, खण्ड या केन्द्र समाविष्ट होंगे जो विहित किये जायें, तथापिः विषय और कृत्यों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, एक विभाग या केन्द्र एक से अधिक संकाय की आवश्यकता पूरी कर सकेगा।
- (3) प्रत्येक संकाय में इतने सदस्य होंगे जितने विहित किये जायें और संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष उस संकाय का अध्यक्ष होगा।
  - (4) प्रत्येक संकाय के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-
    - (i) अध्यापन कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना;
    - (ii) संबंधित अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना और उन्हें विचार और अनुमोदन के लिए विद्या परिषद के समक्ष रखनाः
    - (iii) संकाय स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होंगे; और
    - (iv) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विद्या परिषद् या कुलपति द्वारा सौंपे जायें।

- (5) प्रत्येक संकाय के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन इस प्रकार होगा, जो विहित किया जाये और संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा।
  - (6) अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:-
    - (i) संबंधित संकाय को, उस संकाय द्वारा प्रदत्त शिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अध्ययन के विषय और उनके पाठ्यक्रम के बारे में प्रस्ताव करना; और
    - (ii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो, संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष, अन्य प्राधिकारियों और कुलपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किये जायें।
- 17. समितियों का गठन.- प्रत्येक प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जो, जब तक कि इस अधिनियम या परिनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, प्राधिकारी के सदस्यों और सदस्यों के रूप में ऐसे अन्य व्यक्तियों से गठित होंगी, जैसाकि वह उचित समझे।
- 18. प्राधिकारियों की सदस्यता के संबंध में उपबंध.- (1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, यदि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, अपनी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने के कारण या अन्यथा अपनी संपूर्ण पदाविध पूरी करने में असमर्थ है तो इस प्रकार हुई रिक्ति, सुविधानुसार यथाशीघ्र नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति, ऐसी रिक्ति को उस पदावधि के ऐसे अनवसित भाग के लिये भरेगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति नामनिर्देशित किया गया है, पद पर अन्यथा बना रहता।
- (2) बोर्ड किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से, कुलाधिपति के अनुमोदन से इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी वैतिक अधमता या आचरण, जो संबंधित सदस्य द्वारा धारित पद के अनुकूल न हो, से अंतर्वलित किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु कुलाधिपति का पूर्व अनुमोदन वहां आवश्यक नहीं होगा जहां ऐसा व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो:

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय, घाहे वह विश्वविद्यालय का हो या नहीं, के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य है, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह अपनी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस अन्य निकाय या प्राधिकारी का सदस्य नहीं रहे, जिसके द्वारा उसे नामनिर्देशित किया गया है:

परन्तु वह उसके उत्तराधिकारी के नामनिर्देशन होने तक अपने पद पर बना रहेगा।

(4) जब कभी कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का, उसके द्वारा धारित पद के आधार पर सदस्य बने तो वह तत्काल ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाता है:

परन्तु उसे चार मास से अमधिक की कालावधि के लिए छुट्टी पर जाने के कारण ही उसके पद धारण से प्रविरत हुआ नहीं समझा ं जायेगा।

- (5) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के किसी पदेन सदस्य से भिन्न कोई भी सदस्य, कुलपित को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से, जिसको रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार किया जायेगा या कुलपति द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।
- 19. कार्यों की विधिमान्यता और संरक्षण.- (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही, उसके सदस्यों की किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाही में भाग लेने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी जिसके बारे में तत्पश्चात् यह पाया जायेगा कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।
- (2) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक किये गये समस्त कार्य या आदेश अंतिम होंगे और इस

अधिनियम या परिनियमों या विनियमों के अनुसरण में की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी बात के लिए विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा या नुकसानी का दावा नहीं किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम या किन्हीं भी परिनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

## अध्याय ४

## विश्वविद्यालय के अधिकारी

- 20. अधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नितिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-
  - (i) कुलपति;
  - (ii) निदेशक;
  - (iii) संकायाध्यक्ष;
  - (iv) कुल-सचिव;
  - (v) नियंत्रकः
  - (vi) विश्वविद्यालय-पुस्तकालायाध्यक्षः
  - (vii) परीक्षा नियंत्रक:
  - (viii) संपदा अधिकारी: और
  - (ix) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।
- 21. कुलपति.- (1) कुलपित विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतिनिक अधिकारी होगा और परिनियमों द्वारा विहित चयन समिति की सिफारिश पर पैनल में सिम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपित द्वारा नियुक्त किया जायेगा।
- (2) कुलपित के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की पात्रता, और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट पैनल की तैयारी के लिए रीति, मानदंड और प्रक्रिया ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

(3) कुलपित की पदाविध उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

- (4) कुलपित, ऐसा वेतन और भते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।
- (5) जब कुलपित के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदाविध समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपित द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (6) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।
- (6) जब कुलपित के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (5) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपित को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपित के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।
- (7) कुलपित अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपित को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।
- (8) ऐसा त्यागपंत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।
- (9) जहां, कुलपित के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

- (10) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी वीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।
- (11) कुलपति, ऐसी दर्रो पर जैसीकि वोई द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भन्ने का हकदार क्षेगा।
  - (12) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-
    - (क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और
    - (ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

- 22. कुलपित की शिक्तयां और कर्तव्य.- (1) कुलपित, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक शैक्षणिक अधिकारी और बोर्ड, विद्या पिषद् और अन्य प्राधिकारियों का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपित की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के हकदार हों।
- (2) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।
  - (3) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् की वैठकें बुलायेगा।
- (4) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों और विनियमों के निष्ठापूर्वक अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।
- (5) कुलपति बोर्ड के समक्ष वार्षिक विल्तीय प्राक्कलन और वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) कुलपित को, जहां तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित हो, ऐसी किसी भी शिक्त का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन करने के लिये आदेश करने की शिक्त होगी जिसका प्रयोग या पालन साधारणतया इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया होता और ऐसे मामले में तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अपनी कार्रवाई

के बारे में ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा और यदि ऐसा प्राधिकारी कुलपित की कार्रवाई से असहमत हो, तो मामला कुलाधिपित को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

- (7) जहां उप-धारा (6) के अधीन कुलपित द्वारां की गयी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय के सेवा में के किसी भी व्यक्ति को उसके अहितकर रूप में प्रभावित करती हो, वहां ऐसा व्यक्ति उस तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा जिसको ऐसे व्यक्ति को की गयी कार्रवाई का नोटिस तामील किया गया है।
- (8) यदि कुलपित का यह समाधान हो जाये कि बोर्ड का विनिश्चय विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में नहीं है तो वह उसे कुलाधिपित को निर्देशित करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- (9) पूर्ववर्ती उप-धाराओं के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कुलपित, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नतियों और पदच्युति के संबंध में बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।
- (10) कुलपित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन के लिए और अध्यापन के पूर्ण समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (11) कुलपित ऐसी अन्य शिक्तयों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम और पिरिनियमों के उपबंधों के अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।
- 23. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव, विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे ही कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।
- (2) कुल-सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा (चयनित वेतनमान से अनिम्न) या भारतीय प्रशासनिक सेवा में के इसके अधिकारियों में से की जायेगी।
- (3) जब कुल-सचिव का पद रिक्त हो, या जब कुल-सचिव बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो कुल-सचिव के पद की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, पालन

और निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति. द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाये।

- (4) कुल-सचिव बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
- (5) कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह-
  - (क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जिन्हें बोर्ड उसके भारसाधन में सुपूर्द करे: और
  - (ख) बोर्ड, विद्या परिषद्, संकाय और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए समस्त नोटिस जारी करे।
- (6) (i) जहां बोर्ड की कोई कार्यवाहियां या संकल्प, या कुलपति का कोई आदेश इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों से असंगत हो, वहां कुल-सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह सुसंगत उपबंधों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या कुलपति को सलाह दे और बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों में या कुलपति के आदेश पर इस तथ्य को अभिलिखित करे कि उसने ऐसी सलाह दे दी थी और तदुपरांत ऐसी कार्यवाहियों, संकल्प या, यथास्थिति, आदेश पर विसम्मित का टिप्पण प्रस्तुत करेगा और ऐसा संकल्प या आदेश पारित होने या, यथास्थिति, ऐसी कार्यवाहियां चलाने के सात दिवस के भीतर-भीतर कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को मामले की संसूचना सुनिश्चित करेगा;
- (ii) खण्ड (i) के अधीन रिपोर्ट किये गये विसम्मति के टिप्पण के परीक्षण के पश्चात्, कुलाधिपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसा अंतरिम या स्थायी आदेश, जो वह ठीक समझे, दे सकेगा, जो विश्वविद्यालय के लिए आबद्धकर होगा।
- (7) कुल-सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा निदेशित या बोर्ड द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें।
- 24. नियंत्रक.- (1) नियंत्रक, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के चयनित वेतनमान और उससे जपर की रैंक के अधिकारियों में से पदस्थापित विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगाः

परन्तु नियंत्रक के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि अपनी पदावधि के दौरान अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से सेवानिवृत्त हो जायेगा।

- (2) नियंत्रक तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा।
- (3) नियंत्रक की परिलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जो विहित की जायें।
- (4) जब नियंत्रक का पद रिक्त हो, या जब नियंत्रक बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद की शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो नियंत्रक के पद की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग, पालन और निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाये।
  - (5) नियंत्रक वित समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
  - (6) नियंत्रक-
    - (क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और विश्वविद्यालय को उसकी वितीय नीति के संबंध में सलाह देगा;
    - (खं) न्यास और विन्यास सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की सम्पति और विनिधानों का वित समिति और बोर्ड के विनिश्चयों के अनुसार प्रवंध करेगा; और
    - (ग) ऐसी अन्य शिक्तियों और ऐसे अन्य वितीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे बोई द्वारा समनुदेशित किये जायें, या जो विहित किये जायें:

परन्तु नियंत्रक वोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, ऐसी रकम से अधिक जो विहित की जाये, कोई भी व्यय उपगत या कोई भी विनिधान नहीं करेगा।

- (7) बोर्ड के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक-
  - (क) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय बोर्ड द्वारा नियत सीमा से अधिक न हों,

और सभी धन उन प्रयोजनों के लिए व्यय किये जायें जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गरी हैं;

- (ख) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं, वितीय प्राक्कलनों और बजट को तैयार करने और उनको वित्त समिति और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ग) नकद और बैंक अतिशेषों और विनिधानों पर बराबर नजर रखेगाः
  - (घ) राजस्य के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण की लागू की गयी पद्धतियों पर सलाह देगा;
  - (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और विश्वविद्यालय द्वारा, संधारित समस्त कार्यालयों, प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों, और संस्थानों में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री के सम्बन्ध में स्टाक की जांच की जाती है:
- (च) अनिधकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितता को कुलपति और कुल सचिव के ध्यान में लायेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा; और
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, घटक महाविद्यालयं या संस्था से ऐसी सूचना या विवरणियां प्राप्त करेगा जिन्हें वह अपनी शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन या कर्तट्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
- 25. निदेशक, संकायाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक आदि.- (1) (क) एक कौशल शिक्षा निदेशक होगा जो अध्यापन के शैक्षणिक समन्वय और पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश और पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के प्रबंध और नियंत्रण के लिए उत्रदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में नीतिगत विषयों और निवासी अनुदेश से संबंधित पद्धति और शैक्षिक प्रोद्यौगिकी के विकास से सरोकार रखेगा। -

(ख) वह विद्या परिषद् के स्थायी अभिलेखों के रख-रखाव, लिये गये पाठ्यक्रमों, अभिप्राप्त किये गये ऋणों, उपाधियों, पारितोषिकों या अन्य विशेषज्ञताओं और शैक्षणिक संपादन से संबंधित अन्य मदों और छात्रों के अनुशासन सहित विश्वविद्यालय के छात्रों के कार्य संपादन के लिए उत्तरदायी होगा।

- (ग) वह शिक्षा परिषद् के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।
- (2) एक मानव संसाधन विकास निदेशक होगा जो मानव संसाधन विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) प्रत्येक घटक महाविद्यालय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा और उनमें से वरिष्ठतम, संकाय और संबंधित संकाय के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा और संकाय के अध्यापन कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।
- (4) एक पुस्तकालयाध्यक्ष होगा जो विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के अनुरक्षण और प्रवन्ध के लिए, विश्वविद्यालय की विभिन्न संघटक इकाइयों के पुस्तकालयों के कार्यकरण में मार्गदर्शन और समन्वय करने के लिए और वजट प्राक्कलनों में सम्मिलित करने के लिए विश्वविद्यालयों के समस्त पुस्तकालयों के कार्यपालन और विकासात्मक अपेक्षाओं का वार्षिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) एक छात्र कल्याण निदेशक होगा जिसके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-
  - (क) छात्रावास, कैफेटेरिया और भोजनालय की व्यवस्था करना और उसके प्रबन्ध का पर्यवेक्षण करना;
  - (ख) विश्वविद्यालय के छात्रों की पाठ्यचर्या से भिन्न कार्यकलापों जैसेकि खेल-कूद, सांस्कृतिक और अन्य आमोद-प्रमोद सम्बन्धी कार्यकलापों की योजना बनाना और उनको आयोजित करना;
  - (ग) छात्रों को सलाह और परामर्श देने के कार्यक्रमों के बारे में योजना बनाना और निदेश देना और विश्वविद्यालय स्नातकों के नियोजन में सहायता के लिए भावी नियोजकों और नियोजन एजेन्सियों का सहयोग प्राप्त

करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बढाना:

- (घ) विश्वविद्यालय की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं और कल्याण के अन्य उपायों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करनाः और
- (ङ) छात्रों की छात्रवृतियों, वृतिकाओं, अंशकालिक नियोजन और अध्ययन दौरे के लिए यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- (6) एक परीक्षा नियंत्रक होगा, जो विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की समय पर घोषणा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) एक संपदा अधिकारी होगा, जो विश्वविद्यालय की समस्त भूमि और भवनों का अभिरक्षक होगा और उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 20 के खण्ड (ii) से (ix) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो विहित किये जायें या बोर्ड या कुलपित द्वारा समय-समय पर उन्हें सौंपे जायें।
- 26. विश्वविद्यालय का अध्यापन.- (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या इसके संघटक या संबद्ध महाविद्यालयों, केन्द्रों, खण्डों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।
- (2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।
- (3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा और तदधीन रहते ह्ए, विनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- 27. विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति.-(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के

- 37(32) राजस्थान राज-पत्र, मार्च 30, 2017 भाग 4 (क) लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।
- (2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा कुलपित के पास रखी जायेंगी और उसकी एक प्रति संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। सेवा की शर्तों के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।
- 28. अध्यापन और अनुसंधान का समन्वय, कृत्यों और पाठ्यक्रमों और सेवाओं का एकीकरण.- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों के साथ परामर्श से, ऐसे उपाय करने के लिए उत्तरदायी होगा जो विश्वविद्यालय के अध्यापन और अनुसंधान क्रियाकलापों के पूर्ण समन्वय के लिए आवश्यक हों।
- (2) कुलपति, विश्वविद्यालय के समुचित अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के माध्यम से कार्य करते हुए कि विश्वविद्यालय के संकार्यों के बीच कृत्यों के अनावश्यक दोहरेपन से बचने के लिए और छात्रों को विश्वविद्यालय के भीतर विश्वविद्यालय के संसाधनों और प्रतिभाओं के साध्य सर्वोत्तम पाठ्यक्रम और उपयोगी संकाय सम्पर्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि विश्वविद्यालय की भिन्न-भिन्न पाठ्यचर्याओं और पाठ्यक्रमों के बीच समुचित पारस्परिक सम्बन्ध हो।

# अध्याय 5 निधियां और लेखे

- 29. विश्वविद्यालय निधियां.- (1) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय निधि के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा।
- (2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-
  - (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;

- (ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;
- (ग) न्यास, वसीयत, दान, निन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों. और
- (घ) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (3) ऐसे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी।
- (5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।
- 30. भविष्य निधि, पेंशन और बीमा.- (1) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा, भविष्य निधि का सृजन करेगा जो वह उचित समझे।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा और इस प्रकार गठित भविष्य निधि के लिए, राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) के उपबन्ध ऐसी निधियों पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो:

परन्तु विश्वविद्यालय को वित्त समिति और बोर्ड के परामर्श से, भविष्य निधि की रकम को ऐसी रीति से विनिहित करने की शक्ति होगी जो वह अवधारित करे।

31. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भृत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

- (2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए वार्षिक वितीय प्राक्कलन तैयार करेगा।
- (3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और वार्षिक वितीय प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।
- (4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।
- (5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपित द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।
- (6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।
- 32. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वितित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नितिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुजा भी सम्मितित है, अर्थात्:-
  - (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
  - (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भतों, सेवानिवृति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
  - (ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भन्ने या किसी भी

प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वितीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;

- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और
- (छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वितीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्ते किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वितीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

- 33. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वितीय नियंत्रण की धारणा.- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।
- (2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वितीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वितीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यात्रय पर आबद्धकर होंगे।

#### अध्याय ७

### परिनियम और विनियम

- 34. परिनियम.- इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के परिनियम विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संसक्त किसी भी विषय के लिए उपवंधित कर सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपवंध करेंगे, अर्थात्:-
  - (i)प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्यः
  - (ii) विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक या वांछनीय अन्य निकायों या समितियों का सृजन, संरचना और कृत्य;
  - (iii) कुलपित से भिन्न अधिकारियों के पदनाम, शिक्तयां, कृत्य, कर्तव्य, नियुक्ति और चयन की रीति और सेवा के निवंधन और शर्ते:
  - (iv) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द का वर्गीकरण, अर्हता और नियुक्ति की रीति, सेवा के निवंधन और शर्तें और कर्तव्य;
  - (v) कुलपित की सेवा के निवंधन और शर्तें;
  - (vi) विश्वविद्यालय के संकायों, खण्डों, विभागों या अन्य इकाइयों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन या उत्सादन:
  - (vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन और बीमा स्कीमों की स्थापना और ऐसी स्कीमों के नियम, निवंधन और शर्तें:
  - (viii) उपाधियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;
  - (ix) मानद उपाधियों और शैक्षिक उपाधियों का प्रदान किया जाना और वापसी:
  - (x) विश्वविद्यालय के अधीन नियोजित अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्ते, उन्हें संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं;

- (xi) परीक्षा लेने वाले निकायों और परीक्षकों की नियक्ति की शर्ते और ढंग और उनके कर्तव्यः
- (xii) महाविद्यालयों या संस्थानों की सम्बद्धता की और ऐसी सम्बद्धता को वापस लेने की प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तें, और सम्बद्धता की फीस के निबंधन तथा शर्ते;
- (xiii)विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या संधारित महाविद्यालयों, केन्द्रों, खण्डों, विभागों और अन्य संस्थानों का प्रबंध:
- (xiv)विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित नियमों और विनियमों के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों की परीक्षा संचालित करना और उनके छात्रों को उपाधियां प्रदान करना;
- (xv) अध्यापर्कों और अधिकारियों से भिन्न कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन; और
- (xvi)समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा या परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं।
- 35. परिनियम कैसे बनाये जायें.- (1) इस अधिनियम के अधीन परिनियम बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किये जायेंगे और कुलाधिपति को उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे और अनुमति प्राप्त होने और कुलपति द्वारा अधिसूचित किये जाने के पश्चात् ही प्रवृत होंगे।
- (2) कोई भी परिनियम, बोर्ड द्वारा कुलाधिपति की अनुमति से संशोधित या निरसित किया जा सकेगा।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त परिनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।
- 36. विनियम.- (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम और परिनियमों से संगत विनियम बना सकेंगे,-
  - (i) अपनी वैठकों के लिए प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना:
  - (ii) ऐसे मामलों के लिए उपवंध करना, जिन्हें इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन विनियमों द्वारा विनियमित किया जाना हैं; और

- (iii) अन्य किसी विषय के लिए उपबंध करना, जो मात्र प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।
- (2) विद्या परिषद्, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, परीक्षा की पद्धति, शैक्षणिक कलेण्डर, उपाधियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए और निवासी अनुदेश से संबंधित अन्य विषयों के लिए विनियम बना सकेगी।
- (3) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियम ऐसे निदेश के अध्यधीन होंगे जो बोर्ड समय-समय पर इस निमित्त दे।
- (4) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगी,-
  - (i) उपाधियां और डिप्लोमे प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन:
  - (ii) सम्मानिक उपाधियों, विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना और उपाधियों की वापसी:
  - (iii) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उत्सादन;
  - (iv) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, या वृत्तिका, वजीफों, पदकों
     और पुरस्कारों के संस्थित किये जाने और उनके प्रदान किये जाने की शर्ते;
  - (v) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश या दाखिला और उनका नामांकन और इस रूप में जारी रहना और छात्रों को नामांकन से निकालने के लिए शर्तें और प्रक्रिया;
  - (vi) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जा सकेगी;
  - (vii) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;
  - (viii) शर्तें, जिनके अध्यधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों या अन्य पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा और उपाधियां, डिप्लोमे और प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के लिए उनकी पात्रता;

- (ix) उपाधियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने की शर्तै:
- (x) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाये रखना;
- (xi) विशेष व्यवस्थाएं, यदि कोई हों, जो छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए की जा सकेंगी और महिलाओं के विशेष पाठ्यक्रमों के लिए उपबंधः
- (xii) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्ते और छात्रावासों में निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण; और
- (xiii) उन छात्रावासों की मान्यता और प्रबन्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नहीं हैं।

## अध्याय ७ पकीर्ण

- 37. वार्षिक प्रतिवेदन.- विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कुल-सचिव द्वारा कुलपति के निदेशाधीन सामान्यतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर-भीतर तैयार, और बोर्ड के सदस्यों को ऐसी बैठक के एक मास पूर्व परिचालित किया जायेगा, जिसमें उस पर विचार किया जाना हो। बोर्ड, वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, उसकी एक प्रति टिप्पणी सहित राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा। उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखी जायेगी।
- 38. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- बोई परिनियम द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों को किसी भी प्राधिकारी अधिकारी, महाविद्यालयों, खण्डों, विभागों, संस्थानों या इकाइयों और कार्यालयों के अध्यक्षों को ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो बोर्ड उचित समझे।
- 39. प्राधिकारियों या निकायों के गठन विषयक विवाद.- यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सदस्य होने के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्देशित किया गया है या हकदार है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगाः

परन्तु ऐसा कोई भी विनिश्चय करने के पूर्व, कुलाधिपति उससे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

- 40. प्रथम कुलपति की अंत:कालीन शक्तियां.- प्रथम कुलपति, राज्य सरकार और भा.औ.वि.नि. लि. के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष से अनिधिक की ऐसी कालाविध के लिए या ऐसे समय तक जब तक बोर्ड गठित किया जाये, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जायेगा और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त समस्त शक्तियों या इनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा।
- 41. सूचना अभिप्राप्त करने की शक्ति.- इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, तिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संवंधित किसी भी विषय पर विश्वविद्यालय से कोई भी सूचना मंगा सकेगी और विश्वविद्यालय, यदि ऐसी सूचना उसके पास उपलब्ध है तो उसे राज्य सरकार को एक युक्तियुक्त कालावधि के भीतर-भीतर उपलब्ध करायेगा:

परन्तु ऐसी किसी सूचना के मामले में, जिसे विश्वविद्यालय गोपनीय समझता हो, ऐसी सूचना को विश्वविद्यालय कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

- 42. कुलपति और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना.-विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल-सचिव, नियंत्रक, संकायाध्यक्ष, परिनियमों के यथा विनिर्दिष्ट निदेशक और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम, 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।
- 43. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) यदि इस अधिनियम के उपवंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि उप-धारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई भी किठनाई निराकरण के लिए विद्यमान नहीं थी।

- (3) इस धारा के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश, उसके प्रकाशन के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।
- 44. निरसन और व्यावृतियां.- (1) राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयप्र अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

आश्तोष कुमार,

शासन विविध

# LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT (GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 30, 2017

No. F. 2 (7) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan I.L.D. Kaushal Vishwavidyalaya, Jaipur Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 6):-

# (Authorised English Translation) THE RAJASTHAN ILD SKILLS UNIVERSITY. JAIPUR ACT, 2017

(Act No. 6 of 2017)

(Received the assent of the Governor on the 28th day of March 2017)

110

Act

to establish and incorporate Rajasthan ILD Skills University at Jaipur in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India. as follows:-

# CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Act, 2017.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.
- (3) It shall come into force at once.
- 2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires.-
  - (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
  - (b) "affiliated college" means a college or institute admitted to the privileges of the University;
  - (c) "authority" means any authority of the University as specified in this Act;
  - (d) "Board" means the Board of Management of the University:
  - (e) "Chancellor" means the Chancellor of the University;
  - (f) "college" means a constituent college or an affiliated college;
  - (g) "competency" means the ability to use acquired knowledge and learning and development of character for performing a job role successfully or efficiently:
  - (h) "Comptroller" means Comptroller of the University;
  - (i) "constituent college" means a college maintained by the University:
  - (j) "credit framework" means the framework, developed by the university, built on measure units of education, skills, and learning credits for a student to achieve the competency for performing a job role successfully or efficiently;
  - (k) "Dean" means the Dean of the Faculty or the Dean of the constituent college;
  - "Director" means Director of Skill Education, Director of Human Resources Development, Director of Students' Welfare and other Directors of specified areas, which the University may create from time to time;
  - (m) "Faculty" means Faculty in the University as specified in this Act and the Statutes;
  - (n) "Governor" means the Governor of the State of Rajasthan;
  - (o) "Head" means Head of a department or division of the discipline;

- (p) "hostel" means a place of residence for students of the University maintained or recognized by the University either as part of, or separate from, the University;
- (q) "IFCI Ltd." means the Industrial Finance Corporation of India Ltd., a Government company registered under the Companies Act, 1956 (Central Act No.1 of 1956);
- (r) "ILD" means the Institute of Leadership Development, Jaipur, a society registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No.28 of 1958);
- (s) "National Occupational Standards" means National Occupational Standards formulated by the Sector Skill Councils or, as the case may be, by the National Skills Qualification Committee;
- (t) "National Skill Development Agency" means the National Skill Development Agency, an autonomous body, registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860);
- (u) "National Skill Development Corporation" means the National Skill Development Corporation, a company registered under the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956);
- (v) "National Skills Qualification Framework" means the National Skills Qualification Framework notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Government of India vide Notification No. 8/6/2013-Invt. dated 27<sup>th</sup> December, 2013:
- (w) "National Skills Qualification Committee" means the Committee set up in accordance with para 14(i) of the Notification No. 8/6/2013-Invt. dated 27<sup>th</sup> December, 2013 issued by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Government of India:
- (x) "officer" means an officer of the University as specified in this Act or any other person in the employment of the University who is declared as officer by the Statutes;
- (y) "prescribed" means as prescribed by the Statutes of the University;

- (z) "Registrar" means the Registrar of the University;
- (za) "Regulations" means the Regulations made under section 36;
- (zb) "Sector Skill Council" means the Sector Skill Council specified in Notification No. 8/6/2013-Invt. dated 27<sup>th</sup> December, 2013 issued by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Government of India;
- (ze) "skills" means the qualification and competency achieved through education, training and learning for performing a job role successfully and efficiently;
- (zd) "Statutes" means the Statutes of the University made under section 34:
- (ze) "student" means the person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma, certificate or other academic distinction;
- (zf) "teacher" means a person not below the rank of Assistant Professor appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instructions and/or conducting and guiding research and includes any other person who may be declared by the Statutes to be a teacher;
- (zg) "University" means the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur as established and constituted under this Act; and
- (zh) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University.

# CHAPTER II The University and the Chancellor

- 3. Establishment and incorporation of the University.
  (1) There shall be established in the State of Rajasthan a University at Jaipur by the name of the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur.
- (2) The University shall consist of a Chancellor, a Vice-Chancellor, a Board of Management, an Academic Council, and other authorities and officers as set forth in this Act or as provided in the Statutes.
- (3) The University shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its corporate name.

- (4) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property which may have become vested in or have been acquired by it for the purpose of the University, and to borrow money from the Central Government.
  - and do all other things necessary for the purpose of this Act.

    (5) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.

State Government or any other sources approved by the Central Government or State Government and it may enter into a contract

- (6) The headquarters of the University shall be at Jaipur which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.
- 4. Jurisdiction.- The jurisdiction of the University shall extend to, and the powers conferred by or under this Act shall be exercisable by it in, all its colleges (both constituent and affiliated), centres, divisions, departments, institutes and institutions.
- 5. Objects of the University.- The University shall have the following objects, namely:-
  - (a) imparting skill education and training, and emerging as one amongst the foremost institutions of quality in skill education recognised by industry nationally and internationally;
  - (b) providing instructions, teaching and training including development of skill in various branches and specialised fields of study including imparting skills that have employment potentiality;
  - (c) developing inter disciplinary courses as an approach and to promote research and development in new and emerging areas in skill education;
    - (d) promoting skill education in an integrated and holistic manner with higher education so as to ensure pathways for progression and mobility across forms of education and skills; and
  - (e) such other objects as the University may from time to time determine.
- **6. Admission to the University.-** (1) The University shall, subject to the provisions of this Act, Statutes and Regulations, be open to all persons.

- (2) Nothing contained in sub-section (1) shall require the University-
  - (a) to admit to any course of study any person who does not possess the prescribed academic qualification or standard; or
  - (b) to retain on the rolls of the University any student whose academic record is below the minimum standard required for the award of a degree, diploma or other academic distinction; or
  - (c) to admit any person or retain any student whose conduct is prejudicial to the interests or discipline of the University or the rights and privileges of other students and employees; or
  - (d) to admit to any course of study students larger in number than those prescribed.
- (3) Subject to the provisions of sub-section (2), reservation of seats in admission for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes and women students shall be made in accordance with the provisions of any law for the time being in force or in accordance with the policy of the State Government.
- 7. Powers and functions of the University.- The University shall exercise the powers and perform the functions, as under:-
  - (a) to recognise, in such manner and in accordance with such parameters, as may be prescribed, institutions of skill education and training and affiliate such institutions;
  - (b) to develop credit framework in accordance with the National Occupational Standards;
  - (c) to develop Qualification Packs and Occupational Standards for identified job roles in consultation with the Sector Skill Councils or, as the case may be, National Skills Qualification Committee and industry;
  - (d) to align qualifications, course programs to National Skills Qualification Framework;
  - (e) to identify and collaborate with industries for purposes of practical training of students in skills and to define norms for recognition of competency

attained by a student in such practical training in industry for the purpose of earning credits;

- (f) to lay down norms for a credit framework for transfer of credits to promote new learning opportunities without compromising on learning outcomes;
- (g) to institute skills education, teaching or other academic positions required by the University, with such qualifications and designations as it may deem fit, and to appoint persons on tenure, term or otherwise to such positions;
- (h) to appoint persons working or having commensurate experience of working, in any other university or educational institution or any industry, possessing the required knowledge or competency, as adjunct, guest or visiting faculty of the University on such terms and for such duration as the University may deem fit;
- (i) to co-operate with any other organization in the matter of skill education and training for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine:
- to collaborate and co-operate with other colleges, (i) universities, research institutions, not-for-profit organizations, industry associations, professional associations or bodies, or other organizations in India and Overseas, subject to any other law for the time being in force, to conceptualize, innovate, design, develop, deliver, offer, evaluate and specific educational and research training programs. programs, consulting assignments, and exchange programs for students, faculty members and others:
- (k) to initiate and undertake programs for the development and training of faculty, researchers, and support staff of the University in partnership, collaboration, cooperation, joint venture, strategic alliance or any other form of mutually beneficial relationship with any other institution or institutions of similar vision, mission, strategic

architecture, and objectives across the world, subject to any other law for the time being in force;

- (l) to provide for undergraduate and postgraduate instructions in skill education and in other allied branches of learning as the University may deem fit;
- (m) to institute courses of study and hold examinations for and confer degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on persons who have pursued a prescribed course of study in the University including part courses carried out in any other University or recognized institutes for the purpose;
- (n) to confer honorary degrees and other distinctions as may be prescribed;
- to admit colleges and institutes, not maintained by the University, to the privileges of the University, and to withdraw all or any of such privileges;
- (p) to establish and maintain colleges, schools, centres, divisions, departments, institutes relating to skill education and training;
- (q) to establish and maintain laboratories, libraries, institutes and museums for teaching and training;
- (r) to create teaching posts and to appoint persons to such posts:
- (s) to create administrative and other posts and to appoint persons to such posts;
- to institute and award fellowships, scholarships, stipends and prizes in accordance with the Statutes;
- (u) to institute and maintain residential accommodations for students and staff of the University;
- (v) to fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed;
- (w) to supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University, and to make arrangements for promoting their health and welfare; and
- (x) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be required in order to further the objects of the University.

- **8.** The Chancellor.- (1) The Governor of the State of Rajasthan shall, by virtue of his office, be the Chancellor of the University.
- (2) The Chancellor shall be the head of the University and shall when present, preside at the convocation of the University.
- (3) Every proposal to confer an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.
- (4) The Chancellor may, on his own motion or on an application, call for and examine the record of any officer or authority of the University in respect of any proceeding to satisfy himself as to the regularity of such proceeding or the correctness, legality or propriety of any decision taken or order made therein, and if in any case, it appears to the Chancellor that any such decision or order should be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, he may pass orders accordingly:

Provided that every application to the Chancellor for the exercise of the powers under this section shall be preferred within three months from the date on which the proceeding, decision or order to which the application relates was communicated to the applicant:

Provided further that no order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given an opportunity of making his representation.

- (5) The Chancellor shall exercise such powers and perform such other duties as are conferred on him by this Act or Statutes.
- 9. Visitation.- (1) The Chancellor shall, on the advice of the State Government or on his own motion, have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipments and of any constituent units of the University and may cause an inquiry to be made in the like manner of any matter connected with the University.
- (2) The Chancellor shall, in every case, give due notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry.
- (3) The Chancellor shall communicate to the University with reference to the result of such inspection or inquiry, and may after ascertaining the opinion thereon of the University, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(4) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor, the action which has been taken or is proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

- (5) The Chancellor may, where action has not been taken by the University to the satisfaction of the Chancellor within the time limit fixed and after considering any explanation furnished or representation made by the University, issue such directions as the Chancellor may think fit and the University shall comply with such directions.
- (6) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections, if at any time the Chancellor is of the opinion that in any manner the affairs of the University are not managed in furtherance of the objects of the University, or in accordance with the provisions of this Act, statutes and regulations, or the special measures are desirable to maintain the standards of the University teaching, training and examination, he may indicate to the University any matter in regard to which he desires an explanation, and call upon the University to offer such explanation, within such time as may be specified by him. If the University fails to offer any explanation within the time specified or offers an explanation which in the opinion of the Chancellor is unsatisfactory, the Chancellor may issue such instructions as may appear to him to be necessary and desirable in the circumstances of the case and may exercise such powers as necessary for giving effect to these instructions
- (7) The University shall furnish such information relating to the administration of the University as the Chancellor may require.

#### CHAPTER III

Authorities of the University

- 10. Authorities of the University.- The following shall be the authorities of the University, namely:-
  - (i) the Board of Management;
  - (ii) the Academic Council;
  - (iii) the Finance Committee;
  - (iv) the Faculties including Post-graduate studies and their Board of Studies; and
  - (v) such other bodies of the University as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

11. The Board of Management and its constitution.- (1) The Chancellor shall as soon as may be after the first Vice-

Chancellor is	appointed constitute the Deed of N	r the first Vic
(2)	appointed, constitute the Board of M	ianagement.
following, na	he Board of Management shall	consist of the
(i)	the Vice-Chancellor	Ex-officio
(ii)	the Secretary to the	Chairman;
(11)	State	
	Department of Skill, Employment and	
	Entrepreneurship	Ex-officio
	or his nominee not below the	Member;
	rank of Deputy Secretary	Member,
(ii)	the Secretary to the	
()	Government in-charge of the	
	Finance Department or his	
	nominee not below the	Ex-officio
	rank of Deputy Secretary	Member;
(iv)	the Commissioner of the	wichibet,
V. 17	Rajasthan Skill and	Ex-officio
	Livelihoods Development	Member;
	Corporation	wiemoer,
(v)	Eleven persons nominated by	
. ,	the IFCI Ltd.	Member;
(vi)	one Member of Rajasthan	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
× 2	Legislative Assembly to be	
	nominated by the Speaker of	
	the Rajasthan Vidhan Sabha	Member:
(vii)	two eminent educationists	
	from the field of skill education	•
	to be nominated by the State	Member;
	Government	\$ \$400 000 00 \$200 000 000 000 000 000 000 0
(viii)	one Director to be nominated	
	by the Vice-Chancellor	Member;
(ix)	one Dean to be nominated by	
•	the Vice-Chancellor	Member;
(x)	one Professor to be nominated	
	by the Vice-Chancellor	Member;
(xi)	Registrar	Ex-officio
		Member-

Secretary.

**Explanation.**- For the purposes of this sub-section, expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) The term of the office of the members of the Board

other than the ex-officio members shall be two years.

(4) No action or proceedings of the Board shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

(5) One third of the members of the Board including all Exofficio Members shall form quorum at a meeting of the Board:

Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transaction of the same business.

- (6) The members of the Board other than the officers of the University shall not be entitled to any remuneration for the performance of their functions under this Act except such daily and travelling allowances as may be prescribed.
- (7) The Board for the purpose of consultation may invite any person having experience or special knowledge on any subject under consideration to attend its meeting and such person may speak or otherwise take part in the proceedings of such meeting but shall not be entitled to vote, however, he shall be entitled to such allowances for attending the meeting as may be prescribed.

(8) Normally the Board shall on dates to be fixed by the Vice-Chancellor meet once in every three months, however, Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall, upon the requisition in writing signed by not less than five members of the Board, convene a special meeting of the Board.

- 12. Powers and functions of the Board.- (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Board shall be the Chief Executive body of the University and shall manage and supervise the properties and activities of the University and shall be responsible for the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for in this Act.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

- (i) to consider and approve the financial requirements, estimates and the budget of the University;
- (ii) to hold and control the property and the funds of the University and issue any general directive on behalf of the University;
- (iii) to accept or transfer any property on behalf of the University;
- (iv) to administer funds placed at the disposal of the University for the purpose intended;
- (v) to arrange for the investment and withdrawal of the funds of the University;
- (vi) to borrow money for capital investments with prior approval of the State Government and make suitable arrangements for its repayment;
- (vii) to accept on behalf of the University trusts, bequests and donations;
- (viii) to consider and approve the recommendations of the Academic Council wherever required;
- (ix) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (x) to appoint such committees and bodies as it may deem necessary and set down the terms of reference thereof in accordance with the provisions of this Act and the Statutes;
- (xi) to grant affiliation to colleges or institutes on the recommendation of the Academic Council or withdraw such affiliation;
- (xii) to consider and approve establishment of a new college or Faculty, amalgamation of two or more constituent colleges or Faculties into a single constituent college or Faculty or abolition of a college or Faculty or reconstitution of any of the existing Faculties on the recommendation of the Academic Council; and
- (xiii) to approve the recommendations of the selection committee for appointment, in the prescribed manner, of officers, teachers, employees of the rank of Assistant Registrar and above in the University.
- 13. The Academic Council. (1) The Academic Council shall consist of the following, namely:-

(54)		राजस्थान राज-पत्र, मार्च 30, 20	17 भाग 4 (क)
	(i)	the Vice-Chancellor	Ex-officio
			Chairman;
	(ii)	the Director, Students' Welfare	Ex-officio
			Member;
	(ii)	the Director, Human Resource	•
		Development	Ex-officio
			Member;
	(iv)	the Chairpersons of all	Ex-officio
		Faculties	Member;
	(v)	the Deans of all constituent	Ex-officio
		colleges	Member;
	(vi)	the Controller of Examinations	Ex-officio
			Member;
	(vii)	the University Heads of all	2000 SE 2002 DEPOSITIO DE 2000 SE 2007 DE
		the departments from each	
		Faculty (from teaching	
		campuses only not below the	
		rank of Associate Professor)	Member;
	(viii)		**************************************
		rank from each Faculty to be	
		nominated by the Vice-	Member:
		Chancellor on rotational basis	michicol,
	(ix)	One eminent Educationist	
		from outside of the University	
		to be nominated by the Vice-	Member;
		Chancellor	wiemoer,
	(x)	the Registrar	Member;
	(xi)	the Director of Skill education	Ex-officio
			Member-Secretary.
			momoci-becietaly.

(2) All members of the Academic Council other than the ex-officio members shall hold office for a term of two years.

(3) One third of the members of the Academic Council

shall form quorum at a meeting of the Council:

Provided that if a meeting of the Council is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for the transaction of the same business.

(4) Normally the Academic Council shall meet once in every four months on such dates as may be fixed by the Vice-Chancellor, however, special meetings of the Academic Council can be called by the Vice-Chancellor.

14. Powers and functions of the Academic Council.- (1) The Academic Council shall subject to the provisions of this Act and the Statutes have the power of prescribing by regulations all courses of study and training and determining curricula, and shall have general control on teaching and other educational programmes within the University, and shall be responsible for the maintenance of standards thereof.

(2) The Academic Council shall have power to make regulations consistent with this Act and the Statutes relating to all academic matters and also to amend or repeal them.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of

the foregoing powers, the Academic Council shall have power-

(i) to advise the Board and Vice-Chancellor on all academic matters including the control and management of libraries and affiliation of colleges to the privileges of the University;

 (ii) to make recommendation for the institute of Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching posts;

(iii) to make recommendation for the constitution or reconstitution of departments or Faculties of teaching:

 (iv) to make regulations regarding the admission of students to the University and to determine the number of students to be admitted;

(v) to make regulations relating to the courses of study leading to degrees, diplomas and certificates;

 (vi) to make regulations relating to the conduct of examinations and to maintain and improve standards of Skill education;

(vii) to make recommendation to the Board regarding conferment of honorary degree;

 (viii) to make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for teachers in the University; and

(ix) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it under the provisions of this Act or by the Board or by the Vice-Chancellor.

15. Finance Committee.- (1) The Finance Committee shall consist of—

8 (98 (98	राजस्थान राज-पत्र, मार्च 30, 2017	भाग 4 (क
(i)	the Vice-Chancellor	Ex-officio Chairman;
(ii)	the Secretary to Government in- charge of the Finance Department or his nominee not	
	below the rank of Deputy Secretary .	Ex-officio Member;
(iii)	the Secretary to the Government in-charge of the Department of the Skill, Employment and Entrepreneurship, or his	
	nominee not below the rank of Deputy Secretary	Ex-officio
(iv)	the Director, Skill education	Member; Ex-officio Member;
(v)	three nominee of the Board who shall be the non-official member	*
	of the Board	Member;
	the Comptroller	Ex-officio
		Member-
		Secretary.

37(56)

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section, expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(2) Finance Committee shall have the following functions, namely:-

- to examine the annual accounts and budget estimates of the University and to advise the Board thereon;
- (ii) to review the financial position of the University from time to time; and
- (iii) to make recommendations to the Board on all matters relating to the finances of the University.
- 16. Faculties and their Board of Studies.- (1) The University shall have the Faculties of skill education, training and such other Faculties as may be prescribed.

- (2) These Faculties shall comprise of such departments, divisions or centres as may be prescribed, however, depending on the nature of the subject and functions, one department or centre may eater to the needs of more than one Faculty.
- (3) Each Faculty shall consist of such members as may be prescribed and Dean of the concerned Faculty shall be the Chairman of the Faculty.
  - (4) Functions of each Faculty shall be as follows:-
    - (i) to review teaching programme and suggest improvement thereof:
    - (ii) to consider the recommendations of the respective Board of Studies and to place the same before the Academic Council for consideration and approval:
    - (iii) the Faculties shall be responsible for Bachelor and Post-graduate degree programme; and
    - (iv) to perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council or Vice-Chancellor
- (5) There shall be a Board of Studies for each Faculty, the constitution of which shall be such as may be prescribed and Dean of the Faculty concerned shall be the Chairman of the Board of Studies.
- (6) The Board of Studies shall have the following functions, namely:-
  - (i) to propose to the Faculty concerned, the courses of study and curricula for various programmes of instructions offered by that Faculty; and
  - (ii) to perform such other functions as may be directed by the Dean of the Faculty concerned, other authorities and Vice-Chancellor.
- 17. Constitution of Committees.- Every authority shall have the power to appoint committees which may unless otherwise provided in this Act or Statutes consist of the members of the authority and such other persons as members as it may deem fit.
- 18. Provisions in relation to membership of authorities .-(1) Save as otherwise provided in this Act, if any member other than ex-officio member of any authority or body of the University is unable by reason of his death, resignation, removal or otherwise to complete his full term of office, the vacancy so caused shall, as soon as convenient, be filled by the nomination and the person so nominated shall fill such vacancy for the unexpired portion of the

term for which the member in whose place such person is nominated would otherwise have continued in office.

(2) The Board may remove any person from membership of any authority or body of the University on the ground that such person has been convicted of any offence involving moral turpitude or conduct not befitting the office held by the concerned member with the approval of the Chancellor:

Provided that prior approval of the Chancellor shall not be necessary where such a person has been convicted by a competent court of law:

Provided further that no such order shall be made against any person without giving him a reasonable opportunity of being heard.

(3) A person who is a member of any authority or body of the University as a representative of another authority or body, whether of the University or not, shall cease to be a member of such authority or body, if before the expiry of the term of his membership he ceases to be a member of that other authority or body by which he was nominated:

Provided that he may continue to hold his office till his successor is nominated.

(4) Whenever any person becomes a member of any authority or body of the University by virtue of the office held by him, he shall forthwith cease to be a member of such authority or body, if he ceases to hold such office:

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

- (5) Any member, other than an ex-officio member, of any authority or body of the University may resign his office by letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy or on the expiry of three months from the date of its receipt by the Vice-Chancellor, whichever is earlier.
- 19. Validity and protection of acts.- (1) No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid by reason of the existence of any vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found to have been not entitled to do so.

- (2) Save as otherwise provided in this Act, all the acts done or orders made in good faith by the University or any of its authorities shall be final and no suit shall be instituted against or damages claimed from the University or its authority for anything done or purported to have been done in pursuance of this Act or the Statutes or the Regulations.
- (3) No suit or other legal proceeding shall lie against any officer or other employee of the University in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any Statutes.

#### CHAPTER IV

### Officers of the University

- 20. Officers.- The following shall be the officers of the University, namely:-
  - (i) the Vice-Chancellor:
  - (ii) the Directors:
  - (iii) the Deans;
  - (iv) the Registrar;
  - (v) the Comptroller:
  - (vi) the University Librarian;
  - (vii) the Controller of Examinations;
  - (viii) the Estate Officer; and
  - (ix) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.
- 21. The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Selection Committee prescribed by the Statutes.
- (2) The eligibility of the person to be appointed as Vice-Chancellor, and the manners, criteria and procedure for preparation of the panel referred to in sub-section (1), shall be such as may be prescribed.
- (3) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

- (4) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.
- (5) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (6).
- (6) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (5), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the function of the office of the Vice-Chancellor.
- (7) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.
- (8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.
- (9) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institute or university, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.
- (10) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.
- (11) The Vice-Chancellor shall be entitled for travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.
- (12) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-
  - (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
  - (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

- 22. Powers and duties of the Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive academic officer of the University and ex-officio Chairman of the Board, Academic Council and other authorities and shall in the absence of the Chancellor preside at the convocation of the University and confer degrees on persons entitled to receive them.
- (2) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for due maintenance of discipline in the University.
- (3) The Vice-Chancellor shall convene meetings of the Board and Academic Council.
- (4) The Vice-Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act and Statutes and Regulations.
- (5) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimates and the annual accounts to the Board.
- (6) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which would ordinarily have been exercised or performed by any other authority under this Act or the Statutes and shall in such case as soon as may be thereafter report his action to such authority and if such authority disagrees with the action of the Vice-Chancellor, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- (7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage such person may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which such person has been served with a notice of the action taken.
- (8) If the Vice-Chancellor is satisfied that a decision of the Board is not in the best interest of the University, he shall refer it to the Chancellor whose decision thereon shall be final.
- (9) Subject to the provisions of the preceding sub-section, the Vice-Chancellor shall give effect to the decisions of the Board regarding the appointments, promotions and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.
- (10) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the affairs of the University, and for a close co-ordination and integration of teaching.

- (11) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as are conferred or imposed on him under the provisions of this Act and the Statutes.
- 23. Registrar.- (1) The Registrar shall be the administrative officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.
- (2) The Registrar shall be appointed by the State Government from one of its officers of the Rajasthan Administrative Service (not below selection scale) or of Indian Administrative Service.
- (3) When the office of the Registrar is vacant, or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other reason, unable to exercise the powers, perform the functions and discharge the duties of his office, the powers, functions and duties of the office of the Registrar shall be exercised, performed and discharged by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- (4) The Registrar shall be the ex-officio Member-Secretary of the Board.
  - (5) It shall be the duty of the Registrar-
    - (a) to be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the University as the Board shall commit to his charge; and
    - (b) to issue all notices convening meetings of the Board, the Academic Council, the Faculties and of any committee appointed by the authorities of the University.
- (6) (i) Where any proceedings or resolution of the Board or order of the Vice-Chancellor is inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes, it shall be the duty of the Registrar to tender advice to the Board or the Vice-Chancellor mentioning the relevant provisions and to record in the proceedings to the meeting of the Board or on the order of the Vice-Chancellor the fact that he had tendered such advice and thereupon put up a note of dissent on such proceedings, resolution or the order, as the case may be, and ensure the communication of the matter to the Chancellor or any officer authorized by him in this behalf within seven days of passing such resolution or order, or as the case may be, undertaking such proceedings.

- (ii) After examining the note of dissent reported under clause (i), the Chancellor or the officer authorized in this behalf by him, may make such interim or final order as he and it thinks fit, which shall be binding on the University.
- (7) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other functions and discharge such other duties as may be directed by the Vice-Chancellor or assigned to him by the Board.
- 24. Comptroller.- (1) The Comptroller shall be a whole time salaried officer of the University to be posted by the State Government from its officers of the Rajasthan Accounts Service of the rank of selection scale and the above:

Provided that a person appointed as Comptroller shall retire from office if, during the term of his office, he completes the age of superannuation.

- (2) The Comptroller shall hold office for a period of three years.
- (3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Comptroller shall be such as may be prescribed.
- (4) When the office of the Comptroller is vacant, or when the Comptroller is, by reason of illness or absence or any other cause unable to exercise the powers, perform the functions and discharge the duties of his office, the powers, functions and duties of the office of the Comptroller shall be exercised, performed and discharged by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
- (5) The Comptroller shall be the ex-officio Member-Secretary of the Finance Committee.
  - (6) The Comptroller shall-
    - (a) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise the University as regards its financial policy;
    - (b) manage the property and investments of the University including trust and endowed property in accordance with the decision of the Finance Committee and the Board; and
    - (c) exercise such other powers and perform such other financial functions, as may be assigned to him by the Board, or as may be prescribed:

37(64) राजस्थान राज-पत्र, मार्च 30, 2017 भाग 4 (क)

Provided that the Comptroller shall not incur any expenditure or make any investment exceeding such amount as may be prescribed except with the previous approval of the Board.

- (7) Subject to the control of the Board, the Comptroller shall-
  - (a) ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended for the purposes for which they are granted or allotted;
  - (b) be responsible for the preparation of annual accounts, financial estimates and the budget of the University and for their presentation to the Finance Committee and the Board;
  - (e) keep a constant watch on the cash and bank balances and of investments;
  - (d) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;
  - (e) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date, and that stock checking is conducted in respect of equipments and other consumable materials in all offices, laboratories, colleges and institutes maintained by the University;
  - (f) bring to the notice of the Vice-Chancellor and the Registrar any unauthorized expenditure or other financial irregularity and suggest appropriate action to be taken against persons at fault; and
  - (g) call from any office, laboratory, constituent college maintained by the University, any information or returns as he may consider necessary for the exercise of his powers, performance of his functions or discharge of his duties.
- 25. Directors, Deans, Librarian, Controller of Examinations etc.- (1) (a) There shall be a Director of Skill education who shall be responsible for academic coordination for teaching and admission of under graduate and Post-graduate and management and control of examinations at under graduate and Post-graduate levels. He will be concerned with the policy matters and system regarding resident instructions in the University and development of educational technology.

- (b) He shall be responsible for maintaining permanent records of the Academic Council, performance of the students of the University including the courses taken, credits obtained, degrees, prizes or other distinctions and other items pertaining to the academic performance and the discipline of the students.
  - (c) He shall function as Secretary of the Academic Council.
- (2) There shall be a Director of Human Resources Development who shall be responsible for human resources development.
- (3) There shall be a Dean for each constituent college and senior most shall be the Chairman of the Faculty and the Board of Studies of the concerned Faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the organization and implementation of the teaching programmes of the Faculty.
- (4) There shall be a Librarian who shall be responsible for the maintenance and management of the University Library, to guide and co-ordinate the working in the libraries of the various constituent units of the University, to prepare the annual estimate of operational and developmental requirements of all the libraries of the University for incorporation in the budget estimates.
- (5) There shall be a Director, Students' Welfare, who shall have the following duties, namely:-
  - (a) to make arrangements and supervise management of students' hostel, cafeteria and mess;
    - (b) to plan and organize students' extra-curricular activities such as sports, cultural and other recreational activities of the University:
    - (c) to plan and direct the programmes of students' advisement and counselling and to enlist the cooperation of prospective employers and employment agencies to assist in the placement of students of the University and to promote discipline amongst the students of the University:
  - (d) to supervise and control medical and health services and other welfare measures in the University; and
  - (e) to make arrangements for scholarships, stipends, part-time employment and travel facilities for the study tour of the students.

- (6) There shall be a Controller of Examinations who shall be responsible for conducting various examinations of the University and declaration of results in time.
- (7) There shall be an Estate Officer who shall be the custodian of all the land and buildings of the University and shall be responsible to maintain them.
- (8) Subject to the provisions of this Act, the officers of the University referred to in clauses (ii) to (ix) of section 20 shall perform such other duties as may be prescribed or as may be assigned to them from time to time by the Board or the Vice-Chancellor,
- 26. Teaching of the University.- (1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University departments or its constituent or affiliated colleges, centres, divisions, institutes and institutions.
- (2) The authorities responsible for organizing such teaching shall be such as may be prescribed.
- (3) The courses of study and curricula shall be such as may be prescribed by statutes and, subject thereto, by the Regulations.
- 27. Appointment of Teachers and Officers of the University.- (1) Selection for appointment of teachers and officers of the University shall be made in accordance with provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act. 1974 (Act No. 18 of 1974).
- (2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be lodged with the Vice-Chancellor and a copy thereof shall be furnished to the teacher or officer concerned. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.
- 28. Co-ordination of teaching and research, integration of functions and curricula and services.- (1) In consultation with the appropriate officers of the University, the Vice-Chancellor shall be responsible for taking such steps as may be necessary for the full co-ordination of teaching and research activities of the University.
- (2) The Vice-Chancellor shall be responsible for working through the appropriate officers and staff of the University, to see that there is an appropriate inter-relation in the different curricula and courses offered in the different Faculties of the University so

as to avoid unnecessary duplication of functions between Faculties of the University and provide the students with the best course offerings and Faculty contacts feasible within the University's resources and talents.

#### CHAPTER V Funds and Accounts

- **29.** The University Funds.-(1) The University shall establish, maintain and administer a fund to be called the University fund.
- (2) The following moneys shall form part of, and be paid into, the University fund, namely:-
  - (a) any contribution or grant by the Central Government and the State Government;
  - (b) income arising to the University from all sources including income from fees and charges:
  - (c) trusts, bequests, donation, endowments and other grants, if any:
  - (d) such other money as may be prescribed by the Statutes.
- (3) The matters to which the fund may be applied and appropriated shall be those prescribed by this Act or the Statutes.
- (4) All expenses incurred under and in pursuance of any provision contained in this Act shall be met out of the University fund.
- (5) The University shall have power to borrow, on the security of the University properties and with the concurrence of the State Government, money for the purposes of the University.
- 30. Provident fund, pension and insurance.— (1) The University shall create for the benefit of its officers, teachers, ministerial staff and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such pension, gratuity, insurance, provident fund as it may deem fit.
- (2) For such pension, gratuity, insurance and provident fund so constituted by the University, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act. 1925 (Central Act No. 19 of 1925) shall apply to such funds as if it were Government Provident Fund:

Provided that the University shall have power in consultation with the Finance Committee and the Board to invest provident fund amount in such manner as it may determine.

- 31. Accounts and Audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.
- (2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the annual financial estimates for the ensuing year.
- (3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.
- (4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.
- (5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the Chancellor with such comments as may be deemed necessary.
- (6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.
- 32. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-
  - (a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
  - (b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees:
  - (c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including ex-gratia payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

- (d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and
- (g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

**Explanation.-** The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

- 33. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.— (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.
- (2) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

#### CHAPTER VI Statutes and Regulations

- 34. Statutes.- Subject to the provisions of this Act, the Statutes of the University may provide for any matter connected with the affairs of the University and shall in particular, provide for the following, namely:-
  - (i) constitution, powers and duties of the Authorities;
  - (ii) creation, composition and functions of other bodies or committees, necessary or desirable for improving the academic life of the University;
  - (iii) designations, powers, functions, duties, manner of appointment and selections and terms and

conditions of service of the officers other than Vice-Chancellor:

- (iv) classification, qualification and manner of appointment, terms and conditions of services and duties of teachers and non-teaching staff of the University;
- (v) terms and conditions of service of the Vice-Chancellor;
- (vi) establishment, amalgamation, sub-division or abolition of Faculties, divisions, department or other units of the University;
- (vii) establishment of pension and insurance schemes for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and the rules, terms and conditions of such schemes;
- (viii) holding of convocations to confer degrees and diplomas;
- (ix) conferment and withdrawal of honorary degrees and academic distinctions;
- (x) conditions of service, remunerations and allowances including travelling and daily allowances to be paid to officers, teachers and other persons employed under the University;
- (xi) conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies and examiners;
- (xii) procedure and terms and conditions of affiliation and of withdrawal of such affiliation, and terms and conditions of fees for affiliation, to colleges or institutes;
- (xiii) management of constituent colleges, centres, divisions, departments, or other institutes founded or maintained by the University:
- (xiv) conducting examination and awarding degrees to students of affiliated colleges as per rules and regulations laid down by the University;
- (xv) constitution of Selection Committee for appointment of staff other than teachers and officers; and
- (xvi) all other matters which by this Act are to be provided by the Statutes.

- 35. Statutes how made.- (1) Statutes under this Act shall be proposed by the Board and submitted to the Chancellor for his assent and shall come into force only after the assent is received and notified by the Vice-Chancellor.
- (2) Any Statute may be amended or repealed by the Board with the assent of the Chancellor.
- (3) All Statutes made under this Act shall be published in the Official Gazette.
- **36. Regulations.-** (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes for.-
  - (i) laying down the procedure for their meetings and the number of members required to form the quorum;
  - (ii) providing for matters which by this Act and the Statutes are to be regulated by Regulations; and
  - (iii) providing for any other matter solely concerning the authority and not provided for by this Act and the Statutes.
- (2) The Academic Council may subject to the provisions of this Act and the Statutes, make Regulations providing for courses of studies, system of examination, academic calendar, award of degrees and diplomas of the University and other matters related to resident instruction.
- (3) The Regulations made by any authority of the University shall be subject to such direction as the Board may from time to time give in this behalf.
- (4) Academic Council of the University may make Regulations for,-
  - (i) the holding of convocations to confer degrees and diplomas;
  - (ii) the conferment of honorary degrees, academic distinctions and withdrawal of degrees;
  - (iii) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;
  - (iv) the institute of fellowships, scholarships, stipend, bursaries, medals and prizes and the conditions of award thereof;
  - (v) the entrance or admission of the students to the University and their enrolment and continuance as such and the conditions and procedure for dropping students from enrolment;

- (vi) the fees which may be charged by the University;
- (vii) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
- (viii) the conditions under which students shall be admitted to the degrees, diplomas, certificates or other courses and examinations of the University and their eligibility for the award of degrees, diplomas and certificates;
- (ix) the conditions for conferment of degrees and other academic distinctions:
- (x) the maintenance of discipline among the students of the University:
- (xi) the special arrangements, if any, which may be made for residence, discipline and teaching of women students and the provision of special courses of study for women;
- (xii) the conditions of residence of students of the University and the levy of fees for residence in hostels; and
- (xiii) the recognition and management of hostels not maintained by the University.

# CHAPTER VII

#### Miscellaneous

- 37. Annual Report.— The annual report of the University shall be prepared by the Registrar under the direction of the Vice-Chancellor normally within six months from the close of the financial year and circulated to the members of the Board one month before the meeting at which it is to be considered. The Board shall after consideration of the annual report forward a copy thereof with comments to the State Government. A copy of the said report shall be laid on the table of the House of the State Legislature.
- 38. Delegation of powers.- The Board may, by Statutes, delegate the powers exercisable by it under this Act or the Statutes, to any authority, officer, Heads of colleges, divisions, departments, institutes or units and offices subject to such conditions and restrictions as the Board may deem proper.
- 39. Disputes as to constitution of authorities or bodies.If any question arises as to whether any person has been duly nominated or is entitled to be a member of any authority or other

body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided that before taking any such decision, the Chancellor shall give the person affected thereby reasonable opportunity of being heard.

- 40. Transitory powers of the first Vice-Chancellor. The first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government and the IFCI Ltd. for a period not exceeding three year or until such time as the Board is constituted whichever is earlier and exercise all or any of the powers conferred on the Board by this Act or the Statutes.
- 41. Power to obtain information.— Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the State Government may, by order in writing, call for any information from the University on any matter relating to the affairs of the University and, the University shall, if such information is available with it, furnish the State Government with such information within a reasonable period:

Provided that in the case of information which the University considers confidential, the University may place the same before the Chancellor.

- 42. Vice-Chancellor and other officers etc., to be public servants. The Vice-Chancellor, the Registrar, the Comptroller, the Deans, the Directors as specified by the Statutes and other employees of the University shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).
- 43. Removal of difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, do anything which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty.
- (2) No order made under sub-section (1) shall be questioned in any court of law on the ground that no difficulty, as is referred to in sub-section (1), existed to be removed.
- (3) Every order published under this section shall, as soon as may be after its publication, be laid before the House of the State Legislature.
- 44. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Ordinance, 2017 (Ordinance No. 1 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

आशुतोष कुमार, Secretary to the Government.

37 Government Central Press, Jaipur.